

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंनं 72/17 तारीख रजु 21-6-17


उजवान - सोमोती कनाम रमोल चवान

दादाबाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाजा अन्तर्गत चार 88, 188

वादी की ओर से श्री हंसराम गुजर एडवोकेट ने दादा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाजा अन्तर्गत चार 88, 188 पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दादा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 24.7.17 को पेश हो।


3593-96
22-6-17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)


दि 5-7-17


24.7.17

वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री राम भरोही गुहा Adv. ने बका (तनामा) पेश किया। प्रतिवादी नं. 3, 4 कावजूद सूचना उप. नं. 88 वी इसके विक्रम एक पशुप कायकाठी की जाती थी वस्ते जब्ब पेश करने दि० 14.8.17 को पेश हो। तथा प्रतिवादी नं. 2 द. 07 R. 11 वस्ते पेश की। द. की गमल वादी वकील को दिलाई। वस्ते जब्ब द. पेश करने दि० 14.8.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

18.9.17

जनरल पेशी से पेश हुई ककुलाय उप. 1 गलुगुलु जब्ब द. पेश करने दि. 4.10.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर

दिनांक

फर्द अहकाम

13.5.19

वकुलाय उपस्थित/पीठासन्न अधिकारी
अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक ~~17.5.19~~ को पेश हो।

Handwritten signature

17.5.19

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन
मा गया है। गतानुसार दिनांक ~~27.5.19~~ को
पेश हो।

Handwritten signature

27.5.19

वकुलाय उपो/तनकीपात कापम करने दिनांक 11-6-19
को पेश हो।

Handwritten signature

11.6.19

Not Press

Handwritten signature

वकुलाय उपस्थित। वकील ने Not Press कर
यह दावा आगे नहीं चलाना चाहकर खारिज
कैसे का कथन किया। अतः यह दावा Not-
Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुमार होकर नम्बर से काम होकर दारिबल दफ्तर
हो।

Handwritten signature

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)